संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़
तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 1–187/2016/विज्ञप्त/2326

नया रायपुर, दिनांक : 18-11-16

प्रकाशन की तारिख................ 2016

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि.......के मध्य किसी भी दिवस में। दिसंबर 2017

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–60/2013/सत्रह/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के निर्देश एवं प्रावधान अनुसार भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में "पोस्टग्रेजुएट चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारी" (एम.बी.बी.एस.) के रिक्त पदों पर दो वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु विषयविशेषज्ञता एवं वर्गवार विवरण तालिका विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर देखी जा सकती है जिसमें दर्शित पदों की संविदा आधार पर नियुक्ति के WALK-IN-INTERVIEW माध्यम से किया जाना है:–

क्र.	विषय विशेषज्ञता अनुसार पद नाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल योग
		अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञता का योग	214	62	155	69	64	19	48	19	14	5	7	4	**500**
2	चिकित्सा अधिकारी (संविदा)	158	46	122	54	48	14	36	16	10	2	6	4	**380**
	योग	372	108	277	123	112	33	84	35	24	7	13	8	**880**

1 **"चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस) एवं पोस्टग्रेज्यूवेट चिकित्सको"** के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** में देखी व डाउनलोड की जा सकती है। संविदा नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इन्द्रावती विभागाध्यक्ष भवन, तृतीयतल स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नया रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं (स्थापना विज्ञप्त) को कार्यालयीन दिवस में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

2 ऑन–लाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक एक वर्ष तक अर्थात 30 दिसम्बर 2017 तक अथवा विज्ञापित पद की पूर्ति होने तक जो भी पहले हो स्वीकार किए जावेगें।

3 माह में प्राप्त होने वाले आवेदनो के अनुसार अगामी माह के प्रथम शनिवार को (यदि इस दिवस शासकीय अवकाश रहता है तो आगामी सोमवार को) प्रातः 10.00 बजे संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं नया रायपुर छत्तीसगढ़ के कक्ष में WALK-IN-INTERVIEW के माध्यम से भर्ती की जावेगी। अतः अर्हताधारी अभ्यर्थी मूल तथा मूल दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित दो छायाप्रति के साथ निर्धारित दिनांक व स्थान पर उपस्थित होवें। प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 12.00 बजे तक उपस्थित अभ्यार्थियों का पंजीयन किया जावेगा।

4 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5 चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति छ0ग0 लोक सेवा संविदा भर्ती नियम 2012 के प्रावधान अंतर्गत की जावेगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः एफ 1–187 / 2016 / विज्ञप्त /2319 रायपुर, दिनांक 15/ 11 / 2016

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1–60 / 2013 / सत्रह / एक दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के व्दारा छत्तीसगढ़ शासन के (असाधारण) राजपत्र व्दारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में प्रावधान अनुसार भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में **"चिकित्सा अधिकारी"** के रिक्त पदो की पूर्ति के लिए शासन आदेश कमांक एफः1–62 / 2015 / सत्रह / एक दिनांक 27.04.2016 व्दारा सीधी भर्ती से पद पूर्ति के लिए प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में विज्ञप्ती कमांक एफ1–187 / 2016 / विज्ञप्त / 715 दिनांक 06.मई 2016 व्दारा आमंत्रित किए थे । परन्तु रोस्टर बिन्दु अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी नही मिलने के कारण सभी पद पूर्ति नही की जा सकी । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध होने की प्रत्याशा में विभाग में **"चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस एवं पोस्टग्रेज्यूवेट) चिकित्सको"** के निम्नांकित रिक्त पदों की दो वर्ष के लिए संविदा आधार पर पद पूर्ति हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते है। इस हेतु विषयविशेषज्ञता एवं वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित पदों की संविदा आधार पर नियुक्ति <u>WALK-IN-INTERVIEW</u> के माध्यम से किया जाना है :–

कमांक	विषय विशेषज्ञता अनुसार पद नाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल योग
		अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	चिकि.अधि. मेडिसिन विशेषज्ञता	34	10	25	11	10	3	8	3	2	1	1	1	80
B	चिकि.अधि. स्त्रीरोग विशेषज्ञता	34	10	25	11	10	3	8	3	2	1	1	1	80
C	चिकि.अधि. शिशुरोग विशेषज्ञता	34	10	25	11	10	3	8	3	2	1	1	1	80
D	चिकि.अधि. सर्जरी विशेषज्ञता	34	10	25	11	10	3	8	3	2	1	1	0	80

E	चिकि.अधि. ऐनेस्थियॉ विशेषज्ञता	34	10	25	11	10	3	8	3	2	1	1	1	80
F	चिकि.अधि. नेत्ररोग विशेषज्ञता	13	4	9	4	4	1	3	1	1	0	1	0	30
G	चिकि.अधि. अस्थिरोग विशेषज्ञता	13	4	9	4	4	1	3	1	1	0	1	0	30
H	चिकि.अधि. पैथोजलाजी विशेषज्ञता	9	2	6	3	3	1	1	1	1	0	0	0	20
I	चिकि.अधि. रेडियोलाजी विशेषज्ञता	9	2	6	3	3	1	1	1	1	0	0	0	20
1	चिकि.अधि. विशेषज्ञता का योग	**214**	**62**	**155**	**69**	**64**	**19**	**48**	**19**	**14**	**5**	**7**	**4**	**500**
2	चिकित्सा अधिकारी (संविदा)	**158**	**46**	**122**	**54**	**48**	**14**	**36**	**16**	**10**	**2**	**6**	**4**	**380**
योग		**372**	**108**	**277**	**123**	**112**	**33**	**84**	**35**	**24**	**7**	**13**	**8**	**880**

चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस. योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एकमुस्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है – सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत 35000/– अनुसूचित क्षेत्रों की संस्थाओ में 40000+ इसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित –कठीन के लिए रुपये 20000 कठीनतम केलिए रुपये 25000/– तथा पहुचें विहिन संस्थाओं में करने पर रुपये 30000/– मासिक राशि एकमुस्त सविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।

पोस्टग्रेज्यूवेट पी.जी.डिग्री–डिप्लोमा धारी अभ्यार्थी को संविदा नियुक्त पर एकमुस्त देय राशि इस प्रकार है – सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत 35280/– अनुसूचित क्षेत्रों की संस्थाओ में 40000+ सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित –कठीन के लिए रुपये 25000 कठीनतम केलिए रुपये 35000/– तथा पहुचें विहिन संस्थाओं में करने पर रुपये 30000/– मासिक राशि एकमुस्त सविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।

सीआरएमसी योजना अन्तर्गत कठिन एवें कठिनतम चिन्हित संस्थाओ सूची संलग्न परिशिष्ठ एक पर अवलोकनीय है। जिसमें चिन्हित विकास खण्ड अन्तर्गत संस्थाओ में देय एक मुस्त सविदा राशि की जानकारी दर्शित है।

"चिकित्सा अधिकारी(एम.बी.बी.एस) एवं पोस्टग्रेज्यूवेट चिकित्सको" के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाईट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है। संविदा नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इन्द्रावती विभागाध्यक्ष भवन तृतीयतल स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए छत्तीसगढ़ रायपुर में स्वंय उपस्थित होकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं (स्थापना विज्ञप्त) को कार्यालयीन दिवस में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

1. **आवेदन किए जाने हेतु नियत तिथि :–** ऑन–लाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष तक अर्थात 30 दिसम्बर 2017 तक अथवा विज्ञापित पद की पूर्ति होने तक जो भी पहले हो स्वीकार किए जावेगें ।

उक्तानुसार माह में प्राप्त होने वाले आवेदनो के अनुसार अगामी माह के प्रथम शनिवार को यदि इस दिवस शासकीय अवकाश रहता है तो आगामी सोमवार को प्रातः 10.00 बजे संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं क स्वास्थ्य सेवाऐं रायपुर छत्तीसगढ़ के कक्ष में WALK-IN-INTERVIEW के माध्यम से भर्ती की जावेगी । अतः अर्हताधारी अभ्यर्थी मूल तथा मूल दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ निर्धारित दिनांक व स्थान पर उपस्थित होवें। प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 12.00 बजे तक उक्त पदों हेतु पंजीयन किया जावेगा।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा निर्देश –

1. संविदा मानदेय :– उक्त पदों हेतु प्रतिमाह एकमुश्त देय होगा, इसके अतिरिक्त सीआरएमसी योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि देय होगा।

2. आयु सीमा :– 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यह नियुक्ति संविदा भर्ती 2012 के तहत होगी।

3. यह नियुक्ति संविदा आधार पर दो वर्ष तक के लिए की जावेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

4. मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) **अथवा** राज्य मेडिकल कॉउंसिल में पंजीयन अनिवार्य होगा।

5. छ0ग0 शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार् चयन होने के उपरांत एक माह के भीतर उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. चयनित किये गये कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवायें समाप्त की जा सकेगी। तथा कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर स्वयं सेवा समाप्त कर सकता है।

7. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल पर सेवायें देना अनिवार्य होगा।

8. विज्ञापन में विज्ञापित पद के लिये निर्धारित आर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगे।

9.. चयन प्रक्रिया एवं चयन संबंधी निर्णय संचालक द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा।

10. चयन के संबंध में नियम एवं शर्ते की विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईड पर अपलोड है ।

10. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार संचालक को होगा जो सभी आवेदकों पर मान्य करने के लिए बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

सामान्य नियम एवं शर्ते :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है –"चिकित्सा अधिकारी(एम.बी.बी.एस) एवं पोस्टग्रेज्यूवेट चिकित्सको"** के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में प्रशासनिक कारणों से कमी या वृद्धि की जा सकती है।

2. **सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति की संबंधित वर्ग में उम्मीदवार मिलने या दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति किया जाएगा।**

3. **पद का विवरण :–**
   - **6.1 पद का नाम** :– चिकित्सा अधिकारी (उल्लेखित प्रपत्र में दर्शित अनुसार)
   - **6.2 सेवा श्रेणी** :– छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें – द्वितीय श्रेणी।
   - **6.3 संविदा वेतन** :– **सामान्य क्षेत्र हेतु एक मुस्त मासिक राशि** रुपये 35000 अधिसूचीत क्षेत्र मे पदांकित के लिए रुपये 40000/– एवं नियमानुसार प्रोत्साहन राशि (सी.आर.एम.सी.के तहत देय) अतिरिक्त तौर पर प्रदान की जावेगी ।

4. **शैक्षणिक अर्हताएं :–**
   1. एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।
   2. छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन/अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में राज्य में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
   3. ऐसे उम्मीदवार जो एम.बी.बी.एस. के साथ पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी है, भी आवेदन कर सकते हैं।

5. **आयु सीमा** :– वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है की जनवरी के प्रथम दिन (01.01.2016) को अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए।

6. **ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश/जानकारी :–**
   - 6.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन–लाईन पोर्टल **(www.cghealth.nic.in)** के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक स्वयं या किसी की सहायता से कर सकता हैं।
   - 6.2 ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **(www.cghealth.nic.in)** में उपलब्ध है।
   - 6.3 ऑन–लाईन आवेदन करने हेतु जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हताए (अंक सूचियां), अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास, पंजीयन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय चाही गई है। उन समस्त दस्तवेजों को स्केन कर अपलोड करें।
   - 6.4 आवेदक को स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन करने के पश्चात् अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसका प्रत्येक साईज 50 KB से अधिक न हो, फोटो तथा हस्ताक्षर का फारमेंट JPG में ही होना चाहिए।
   - 6.5 आवेदक बड़ी ही सावधानीपूर्वक सभी प्रविष्टियों सही –सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
   - 6.6 आवेदन पूर्ण करने के पश्चात जब आवेदन को सुरक्षित (Save) करना होगा जिससे कि पृथक पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक ही आवेदक का यूसर नेम होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को अभ्यार्थी नोट कर सुरक्षित रखेगें।

6.7 आवेदक ध्यान रखे की अपने पंजीयन क्रमांक तथा पासवर्ड किसी अन्य को पता न चले।

6.8 उपरोक्त आवेदन में समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज में दिये अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी। चयन के पूर्व/पश्चात् त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

6.9 बेबसाईट पर उपलब्ध ऑन–लाईन आवेदन प्रपत्र अनुसार ही आवेदन किया जा सकता है।

6.10 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।

7. आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन ऑन लाईन भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

8. आवेदन में उल्लेखित निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी व्दारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ आवश्यकता अनुसार मांग किए जाने पर लाना अनिवार्य होगा।

9. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समयक अर्हता का प्रमाण पत्र।

10. नियोक्ता प्राधिकारी के अनुशंसा/अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कार्यानुभव के अंक प्रदान किए जाएगें।

11. **चयन प्रकिया** :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेंगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जावेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

11.1 शैक्षणिक योग्यता :–

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम **75 अंक** प्रावधानित है। **ऐसे अभ्यर्थी जो विदेश से एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त किए हैं उनके संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा आयोजित कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अंक निर्धारित किए जावेगें ।**

1.2 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन/सर्जरी/स्त्रीरोग/शिशुरोग/एनेस्थिया/ऑपथेल्मोलॉजी/रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/नाक, कान, गला रोग/अस्थि रोग/मनोरोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 05 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम **10 अंक** प्रावधानित है।

11.2 कार्यानुभव :–

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों (शासन आदेश क्रमांक एफ

4–1/2014/1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015) में संविदा तथा तदर्थ आधार पर अथवा सेवा निवृति उपरान्त सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।

11.3 अंतिम चयन सूची उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. के सभी वर्षो के प्राप्तांक एवं पूर्णांक के प्रतिशत आधार पर) में प्राप्त कुल अंकों + कार्यानुभव अंक + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

12. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्रदान किया जावेगा । राज्य के बहार के आरक्षितवर्ग के उम्मीदवार आनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थीयों के रुप में ही आवेदन करें।

13. प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपलोड होने वाले आवेदन पत्रों को संकलित कर आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य से परामर्श अनुसार चयन हेतु जानकारी की सूचना विभागीय बेवसाईट **www.cghealth.nic.in** पर दी जावेगी।

14. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन–पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण–पत्र देने या आवेदन–पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3/एक नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के द्वारा अधिसूचित दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिला	जिला/विकासखण्ड
1	सुकमा	सम्पूर्ण जिला
2	दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
3	नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला
4	बीजापुर	सम्पूर्ण जिला
5	कांकेर	कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल, अंतागढ़ कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर
6	बस्तर	सम्पूर्ण जिला
7	कोण्ड़ागांव	सम्पूर्ण जिला
8	सरगुजा	सम्पूर्ण जिला
9	कोरिया	सम्पूर्ण जिला
10	बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला
11	सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला
12	जशपुर	सम्पूर्ण जिला
13	कोरबा	सम्पूर्ण जिला
14	धमतरी	नगरी विकासखण्ड
15	बालोद	डौंडी विकासखण्ड
16	गरियाबंद	गरियाबंद, छुरा, एवं मैनपुर विकासखण्ड
17	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड
18	रायगढ़	खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड